

“विजयेश पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 शि.सो. गिलाई,दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 534]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 15, शक 1935

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

अधिसूचना

क्र. एफ 9-65/2012/तक. शि./42.— राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, एतद्वारा, भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ . — (1) ये नियम छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल सेवा भर्ती नियम, 2013 कहलाएंगे,
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
2. परिभाषाएं . — इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
 - (क) सेवा के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है यथास्थिति, मण्डल या मण्डल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी ;
 - (ख) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है मण्डल का अध्यक्ष ;
 - (ग) “समिति” से अभिप्रेत है अनुसूची-चार में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति/चयन समिति ;
 - (घ) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु मण्डल द्वारा अभिहित कोई अधिकारी ;
 - (ङ) “नियंत्रक” से अभिप्रेत है मण्डल का नियंत्रक ;
 - (च) “परीक्षा” से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा ;
 - (छ) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन ;
 - (ज) “मण्डल” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल ;

- (झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग (पीर-क्रीमि-लेयर);
- (ञ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ट) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
- (ठ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
- (ड) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल सेवा;
- (ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना.— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1981 में अन्तर्विष्ट सम्बंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण करते हों;
- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक के अनुसार होगा:

परन्तु मण्डल, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. भर्ती का तरीका.— (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:-

- (क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा;
- (ख) मण्डल के सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसे सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत से धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियंत्रक की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, अध्यक्ष की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(4) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का सविलयन, शासन के विहित नियमों के अनुसार किया जा सकेगा।

7. सेवा में नियुक्ति.- इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में यथाविनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्त.- सीधी भर्ती/चयन के लिए पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्-

(1) आयु- (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन पर उसने अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित हों तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन अथवा मण्डल के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण- शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किहीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिस रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवान्तर किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व भितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:-

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें-

(क) अल्पकालीन बचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(चार) अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(छ:) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव गांधी पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) विक्रम अवार्ड से सम्मानित किये गये खिलाड़ियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगा।

(ञ) विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों के संबंध में सेवा में उनके प्रथम नियुक्ति पर उच्चतर आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट दी जायेगी।

- (ट) शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। यह छूट जिला चिकित्सा मण्डल अथवा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित निःशक्तजनों के उद्यमी पुनर्वास केन्द्र द्वारा प्रमाणित निःशक्तता प्रमाणपत्र के आधार पर ही दी जायेगी।
- (ठ) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;
- (ड) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

- (2) शैक्षणिक अर्हताएं-- अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होना चाहिए जैसा कि अनुसूची-तीन के कॉलम (6) में दर्शित है:

परन्तु -

- (क) मण्डल, आपवादिक मामलों में, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो विहित की गयी अर्हताओं से भिन्न अर्हताएं रखते हो, जो मण्डल की राय में, सेवा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो।
- (ख) ऐसे अभ्यर्थियों, जो अन्यथा अर्हित हों, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की है, जो शासन द्वारा विशेष रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हो, के चयन के लिए भी मण्डल द्वारा अपने विवेक के अनुसार विचार किया जा सकेगा।

- (3) फीस-- (क) अभ्यर्थी को विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, को स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता-- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अग्रिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।
- (2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

- (3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

- (4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
- (5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस अपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
- (7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरहित नहीं होगा।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा.— चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

11. चयन द्वारा सीधी भर्ती.— (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि मण्डल, अध्यक्ष के परामर्श से, समय-समय पर, अवधारित करे।

(2) अभ्यर्थियों का चयन, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि अवधारित किया जाये।

(3) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित रखे जायेंगे।

(4) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमि-लेयर) के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(6) यदि महिलाओं के लिए आरक्षित 30 प्रतिशत पद उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में नहीं भरे जाते हैं तो रिक्त पदों की आगामी वर्ष के लिए अग्रगणित (कैरी फोरवर्ड) कर दिये जायेंगे तथा इन रिक्त पदों को अन्य अर्हकित या अनारक्षित महिला अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरे जायेंगे।

परंतु ऐसे रिक्त पद, उन संवर्गों, जिसके लिए आरक्षित है, के मुख्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे।

12. अभ्यर्थियों की चयन सूची.- (1) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ स्थितित सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1981 के अनुसार, आरक्षित स्थितियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में अयें हों।

(2) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के परवाप, जैसा कि वह उचित समझे, यह समझान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(3) चयन सूची की वैधता इसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.- (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए, एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूची-धार के कौलम (3) में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे तथा ऐसी समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित एक सदस्य भी सम्मिलित होगा।

परंतु इस उप-नियम के अधीन समिति के गठन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कर्पांक 21 सन् 1994) की धारा 9 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हों।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध एवं मॉडल सेक्टर के अनुसार किया जायेगा।

(4) आरक्षित स्थितियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन- नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.- (1) उप-नियम (2) के प्रावधानों के अन्वधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के नामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है, या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थापनात्मक रूप

- में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों,
- स्पष्टीकरण- पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की शीति- संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।
- (2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर की जानी हो अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्षों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पद तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।
- (दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो वहां विचार का क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए, उपलब्ध न हो, तो विचार का क्षेत्र में कुल रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचार क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचार के क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।
- (3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।
- (4) शासन द्वारा विहित आरक्षण शेड्यूल के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।
- (5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।
15. उपयुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची तैयार करना- (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।
- (2) पदोन्नति के लिए व्यक्तियों के चयन सूची तैयार करने के लिए चयन का मापदण्ड, सभी पहलुओं से यो-यथा (गुणगुण) एवं उपयुक्तता के अध्यधीन वरिष्ठता होगी।
- (3) ऐसी चयन सूची तैयार करने के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

परंतु किसी कनिष्ठ व्यक्ति, जो समिति की राय में असाधारण योग्यता और उपयुक्तता रखता हो, उसे उससे वरिष्ठ व्यक्ति की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण किया जायेगा।

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण यथास्थिति, की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित किया जाये कि सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना है, तो समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी।

स्पष्टीकरण— किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिवान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्पूर्ति चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

10. चयन सूची.— (1) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची—चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची—चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।
(2) चयन सूची सामान्यतया तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उप-नियम (4) के अनुसार पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित नहीं की जाती किन्तु इसकी वैधता अवधि, इसके तैयार किये जाने की तारीख से कुल 18 माह की कालावधि के बाद बढ़ाई नहीं जायेगी :

परंतु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन (अनुपालन) में गंभीर चूक होने की दशा में समिति, यदि उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.— चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा-संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

18. परीक्षा.— सेवा में सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. निर्वहन.— यदि इन नियमों के निर्वहन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे मण्डल को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. शिथिलीकरण.— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की मण्डल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. निरसन एवं ब्यावृत्ति.— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सगरत नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्पर्यायी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव।

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	रोका में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अध्यक्ष	1	प्रथम श्रेणी	अखिल भारतीय रोका की संवर्गीय वेतनमान	
2.	नियंत्रक	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000 प्रतिनियुक्ति	10000
3.	संयुक्त नियंत्रक	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100 प्रतिनियुक्ति	7600
4.	वित्त अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100 प्रतिनियुक्ति	7600
5.	सहायक नियंत्रक	2	द्वितीय श्रेणी	15600-39100 विभागीय/प्रतिनियुक्ति	5400
6.	प्रोग्रामर	1	द्वितीय श्रेणी	15600-39100 विभागीय/प्रतिनियुक्ति	5400
7.	अधीक्षक	1	तृतीय श्रेणी	रु. 9300-34800	4400
8.	सहायक अधीक्षक	1	तृतीय श्रेणी	रु. 9300-34800	4300
9.	निज सहायक	2	तृतीय श्रेणी	रु. 9300-34800	4300
10.	शीघ्रलेखक	2	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200	2800
11.	सहायक ग्रेड-एक	2	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200	2800
12.	सहायक ग्रेड-दो	4	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200	2400
13.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	4	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200	2200
14.	सहायक ग्रेड-तीन	6	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200	1900
15.	वाहन चालक	2	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200	1900
16.	दफ्तारी	1	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4750-7440	1400
17.	मृत्य	6	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4750-7440	1400
18.	घोंकीदार	1	चतुर्थ श्रेणी	कलेक्टर दर	
19.	स्वीपर	1	चतुर्थ श्रेणी	अंश कालीन	

क्र. सं.	विवरण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण
1.	मार्ग शुल्क को शुल्क अवकाश शुल्क को शुल्क अधिकारी, निम्न परीक्षा कार्य शुल्क को शुल्क कार्य को शुल्क को शुल्क	100%	-	-	1
2.	परिचालन को शुल्क को शुल्क कार्य को शुल्क को शुल्क अधिकारी, निम्न परीक्षा कार्य शुल्क को शुल्क कार्य को शुल्क को शुल्क	100%	-	-	1
3.	प्रकाशित करने के शुल्क को शुल्क अधिकारी, निम्न परीक्षा कार्य शुल्क को शुल्क कार्य को शुल्क को शुल्क	100%	-	-	1
4.	प्रत्येक परीक्षा को शुल्क को शुल्क अधिकारी, निम्न परीक्षा कार्य शुल्क को शुल्क कार्य को शुल्क को शुल्क	100%	-	-	1
5.	प्रत्येक परीक्षा को शुल्क को शुल्क अधिकारी, निम्न परीक्षा कार्य शुल्क को शुल्क कार्य को शुल्क को शुल्क	50%	50%	-	2
6.	प्रत्येक परीक्षा को शुल्क को शुल्क अधिकारी, निम्न परीक्षा कार्य शुल्क को शुल्क कार्य को शुल्क को शुल्क	100%	-	-	1
7.	प्रत्येक परीक्षा को शुल्क को शुल्क अधिकारी, निम्न परीक्षा कार्य शुल्क को शुल्क कार्य को शुल्क को शुल्क	100%	-	-	1
8.	प्रत्येक परीक्षा को शुल्क को शुल्क अधिकारी, निम्न परीक्षा कार्य शुल्क को शुल्क कार्य को शुल्क को शुल्क	100%	-	-	2
	कुल	(5)	(4)	(3)	(2)
	प्रमाणित करने के शुल्क को शुल्क अधिकारी, निम्न परीक्षा कार्य शुल्क को शुल्क कार्य को शुल्क को शुल्क	(1) (क) [भाग 6 (1) देखें]	(1) (ख) [भाग 6 (1) देखें]	(1) (ग) [भाग 6 (1) देखें]	
	प्रमाणित करने के शुल्क को शुल्क अधिकारी, निम्न परीक्षा कार्य शुल्क को शुल्क कार्य को शुल्क को शुल्क				

अनुसूची - 2
[भाग 6 (1) देखें]

9. शीघ्रलेखक	2	100%		—	यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो चयन द्वारा शीघी भर्ती से अथवा अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
10. सहायक ग्रेड— एक	2		100%	—	यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो प्रतिनियुक्ति द्वारा पद को भरा जायेगा।
11. सहायक ग्रेड—दो	4		100%	—	—तदेव—
12. सहायक ग्रेड—तीन	6	75%	25%	—	25% पद, मण्डल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जो अर्ह हों और जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, की पदोन्नति द्वारा।
13. प्रोग्रामर	1	100%	—	—	यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे।
14. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	4	100%	—	—	
15. बाइन बालिश्	2	100%	—	—	
16. दफ्तरी	1	—	100%	—	
17. भृत्य	6	100%	—	—	
18. चौकीदार	1	100%	—	—	
19. स्वीपर	1	100%	—	—	

अनुसूची- तीन
(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	आयु सीमा		विहित शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अनुभव
			न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर	छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल सेवा	(1) प्रोग्रामर	21 वर्ष	35 वर्ष	<p>किरसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एम.एस.सी. (कम्प्यूटर विज्ञान/भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक/गणित/सांख्यिकी/सूचना प्रौद्योगिकी)/एम.सी.ए. या समकक्ष उपाधि। अथवा</p> <p>किरसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में बी.ई./बी.टेक. या समकक्ष उपाधि। अनुभव:- (1) साफ्टवेयर में विश्लेषण पद्धति, डाटा प्रोसेसिंग, डी बेस, फाक्स बेस, कॉबोल सी ++ के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव हो। (2) ओ.एम.आर. मशीन पर रिजल्ट प्रोसेसिंग का कार्य का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव को अधिमान्यता दी जायेगी।</p>
		(2) शीघ्रलेखक	18 वर्ष	35 वर्ष	<p>(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, या पुरानी हायर सेकेण्डरी के साथ किरसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किरसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था, शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) तथा मुद्रलेखन परिषद् से:- (क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए- हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए- अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन</p>

					<p>(शार्टहेण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए-- ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहेण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहेण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p>
		(3) डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	<p>(1) मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । अथवा कक्षा 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा हिन्दी और अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री की गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p>
		(4) सहायक वर्ग-3	18 वर्ष	35 वर्ष	<p>(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण । अथवा पुरानी हायर सेकेन्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे</p>

					की गति।
		(5) वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	(1) आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण (2) हल्के वाहन चलाने का वैध लायसेंस धारण करता हो एवं इस क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। (3) ऐसी व्यक्ति को अधिमान्यता दी जायेगी जो वाहन गरम्भत कार्य जानता हो।
		(6) मृत्यु	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण हो और सायकिल चलाना आना चाहिये।
		(7) चौकीदार	18 वर्ष	35 वर्ष	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त हो।
		(8) रवीपर	18 वर्ष	35 वर्ष	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण

अ-नुरूपी-चार
(नियम 6, 13 एवं 14 देखिये)

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अपेक्षित सेवा अवधि	विभागीय पदोन्नति/चयन समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर	अधीक्षक	सहायक नियंत्रक	5 वर्ष	मण्डल के अध्यक्ष द्वारा तीन व्यक्ति नामांकित किये जायेंगे, जिसमें से एक व्यक्ति, अनुरूपित जाति/ अनुरूपित जनजाति का होगा।
	सहायक अधीक्षक/गिज सहायक	अधीक्षक	5 वर्ष	मण्डल के नियंत्रक द्वारा तीन व्यक्ति नामांकित किये जायेंगे, जिसमें से एक व्यक्ति, अनुरूपित जाति/ अनुरूपित जनजाति का होगा।
	शीघ्रलेखक	गिज सहायक	3 वर्ष	-तदैव-
	सहायक ग्रेड-एक	सहायक अधीक्षक	5 वर्ष	-तदैव-
	सहायक ग्रेड-दो	सहायक ग्रेड-एक	3 वर्ष	-तदैव-
	सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो	3 वर्ष	-तदैव-
	चतुर्थ श्रेणी	सहायक ग्रेड-तीन	-	-तदैव-
	चतुर्थ श्रेणी भृत्य	दफ्तारी	5 वर्ष	-तदैव-

Naya Raipur, the 6th December 2013

NOTIFICATION

No. F 9-65/2012/T.E./42.- The Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal, hereby, makes the following Rules relating to recruitment, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal Service Recruitment Rules, 2013.
(2) These Rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**- In these Rules, unless the context otherwise requires :-
 - (a) "Appointing Authority" means Mandal or Competent Authority authorized by Mandal in this behalf;
 - (b) "Chairman" means the Chairman of the Mandal;
 - (c) "Committee" means Departmental Selection/Promotion Committee;
 - (d) "Competent Authority" means any officer designated by the Mandal for any specific purpose;
 - (e) "Controller" means the Controller of the Mandal;
 - (f) "Examination" means examination held for recruitment under rule 11 of these rules;
 - (g) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
 - (h) "Mandal" means the Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal;
 - (i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes (Non-Creamy-Layer) of citizens as specified by the Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
 - (j) "Schedule" means Schedule appended to these rules;
 - (k) "Scheduled Castes" means Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution;
 - (l) "Scheduled Tribes" means Schedule Tribe as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution;
 - (m) "Service" means the Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal Service;
 - (n) "State" means the State of Chhattisgarh.
3. **Scope and application.**- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service.**- The service shall consist of the following persons, namely:-
- (1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;
 - (2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
 - (3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.
5. **Classification, scale of pay etc.**- The classification of service, the number of posts included in service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the Schedule-I:
- Provided that the Mandal may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service either on permanent or temporary basis.
6. **Method of recruitment.**- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :-
- (a) by direct recruitment, through competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;
 - (b) by promotion of members of the service of the Mandal;
 - (c) by transfer/deputation of the persons, who hold in substantive capacity such post in such services, as may be specified in this behalf.
- (2) The number of persons recruited under clause (a), (b) and (c) of sub-rule (1), shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.
 - (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Controller the exigencies of the service so require, he may, with the prior permission of the Chairman, adopt such method of recruitment to the service, other than those specified in said sub-rule, as it may prescribe by order issued in this behalf.
 - (4) Officers/employees on deputation may be absorbed as per the prescribed rules of the Government.
7. **Appointment in service.**- All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment as specified in rule 6.
8. **Condition of eligibility for direct recruitment.**- In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-
- (1) **Age-** (a) He must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (5) of said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;
 - (b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto 10 years as per the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or who have been employees of the Chhattisgarh Government or Mandal to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service;

(e) A candidate who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all Defence Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "Ex-Servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment for not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concession;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) On fulfilling the conditions of the enrollment.

(iii) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);

(iv) Ex-servicemen/Officers discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-servicemen invalidated out of service;

- (vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
- (vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc.
- (f) The upper age limit shall be relaxable up to two years in respect of Green Card holder candidates under Family Welfare Programme;
- (g) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded higher caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive scheme as per Chhattisgarh Inter-caste Marriage, promotional scheme under Untouchability Eradication Rules, 1984;
- (h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shahced Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Award holder candidates and National Youth Award holder young candidates;
- (i) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of sportsperson who have been awarded the Vikram Award;
- (j) The upper age limit shall be relaxable up to fifteen years in respect of widow, estranged or divorced woman candidate on her first appointment to the service;
- (k) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 years in respect of persons with disability. This relaxation shall be given only on the basis of the certificate provided to the persons with disability by the District Medical Board or by the Rehabilitation Centre of Disabled Entrepreneur established by the Ministry of Labour and Employment, Government of India.
- (l) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above category for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years;
- (m) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time shall also be applicable.

(2) **Educational Qualifications-**The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in column (6) of Schedule-III:

Provided that -

- (a) In exceptional cases, the Mandal may treat a candidate as qualified who may be possessing qualifications other than prescribed, which in the opinion of the Mandal meets the requirement of the service.

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from a foreign University being Universities not specifically recognized by the Government, may also be considered for selection by the Mandal in its discretion.

(3) **Fees-** (a) The candidate must pay the prescribed fees.

(b) The candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees, as may be prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board.

9. **Disqualifications.-** (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to be disqualified for selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical defect which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001 :

Provided that no candidate shall be ineligible for appointment to a service or post who has already one living child and in case when next delivery is on 26th January, 2001 or thereafter, in which two or more children are born.

10. **Mandal's decision about eligibility shall be final.-** The decision of the Mandal as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final.

11. **Direct Recruitment by Selection.-** (1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals, as the Mandal may determine, in consultation with the Chairman, from time to time.

- (2) Selection of candidates shall be made by written examination or interview or both in such manner, as may be determined.
- (3) There shall be posts reserved for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).
- (4) At the stage of direct recruitment 30 percent posts shall be reserved for women candidates, in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of women) Rules, 1997. This reservation shall be horizontal and compartment-wise.
- (5) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the select list, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (6) In case 30 percent of women's reservation is not filled due to non availability of suitable candidates, the vacant post shall not be carry forwarded to the next year and these vacant posts shall not be filled by other reserved or unreserved women candidates:

Provided that such vacant post shall be filled by the male candidates of the same category for which it is reserved.

- 12. Selection list of the candidates.-** (1) As per the provisions of these Rules and the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, the candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their name appears in the list.
- (2) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
 - (3) The select list shall be valid for a period of one year from the date of its issuance.
- 13. Appointment by Promotion.-** (1) A committee consisting of members mentioned in column (5) of Schedule-IV shall be constituted for promotion of eligible candidate and such committee shall consist of a member belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

- (2) The committee shall meet at such intervals, ordinarily not exceeding one year.
- (3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.
- (4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.
- (5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam,

1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

- 14. Conditions of Eligibility for Promotion.-** (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Method of computation for eligibility for promotion- The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion the course of 1 year.

(3) The name of public servant in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name upto 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant, whichever is more to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable for promotion.

- 15. Preparation of list of suitable Employees / Officers.-** (1) The Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 and are held by the committee to be suitable for promotion. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of period of 1 year from the date of preparation of the select list.

(2) For preparing the select list of persons for promotion the criterion of selection shall be seniority subject to merit and suitability from all angles.

(3) The names of employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service of posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of such select list:

Provided that any junior person who in the opinion of the Committee is of exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that of person senior to him.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, as the case may be, it is proposed to supersede any member of service of the Mandal, the Committee shall record the reasons for the proposed supersession.

Explanation- A person, whose name is included in the select list, but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Select List.- (1) The list, as finally approved by the Appointing Authority, shall form the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (3) of Schedule-IV.

(2) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, the Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the service from select list.- Appointment of the employees/officers included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such employees/officers appear in the select list.

18. Probation.- Every person directly recruited or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Mandal, whose decision thereon shall be final.

20. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Mandal to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. Repeal and saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMRITA BECK, Deputy-Secretary.

SCHEDULE - I
(See Rule 5)

S. No.	Name of the post included in the service	Number of Posts	Classification	Pay Band	Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Chairman	1	Class-I	Cadre Pay Scale of All India Services	
2.	Controller	1	Class-I	Rs. 37400-67000 On deputation	10,000
3.	Joint Controller	1	Class-I	Rs. 15600-39100 On deputation	7,600
4.	Finance Officer	1	Class-I	Rs. 15600-39100 On deputation	7,600
5.	Assistant Controller	2	Class-II	Rs. 15600-39100 Departmental/ On deputation	5,400
6.	Programmer	1	Class-II	Rs. 15600-39100 Departmental/ On deputation	5,400
7.	Superintendent	1	Class-III	Rs. 9300-34800	4400
8.	Assistant Superintendent	1	Class-III	Rs. 9300-34800	4300
9.	Personal Assistant	?	Class III	Rs. 9300-34800	4300
10.	Stenographer	2	Class-III	Rs. 5200-20200	2800
11.	Assistant Grade-I	2	Class-III	Rs. 5200-20200	2800
12.	Assistant Grade-II	4	Class-III	Rs. 5200-20200	2400
13.	Data Entry Operator	4	Class-III	Rs. 5200-20200	2200
14.	Assistant Grade-III	6	Class-III	Rs. 5200-20200	1900
15.	Driver	2	Class-III	Rs. 5200-20200	1900
16.	Daftari	1	Class-IV	Rs. 4750-7440	1400
17.	Peon	6	Class-IV	Rs. 4750-7440	1400
18.	Choukidar	1	Class-IV	Collector Rate	
19.	sweeper	1	Class-IV	Part Time	

SCHEDULE - II

(See Rule- 6 (1))

Name of the post included in the service	Number of Posts	Percentage of Duty Posts to filled in			Remarks
		By Direct Recruitment (See rule 6 (1) (a))	By Promotion (See rule 6 (1) (b))	By Transfer/ deputation (See rule 6 (1) (c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Chairman	1	--	--	100%	By transfer/deputation of an Officer of the All India Services of the rank of Principal Secretary or equivalent or of higher rank shall be appointed by the State Government.
2. Controller	1	--	--	100%	By Deputation of a Principal of College or equivalent officer who have minimum 5 years experience of examination work.
3. Joint Controller	1	--	--	100%	By Deputation of a professor or equivalent Officer who have minimum 3 years experience of examination work.
4. Finance Officer	1	--	--	100%	This post shall be filled on deputation from an officer of State Accounts Services.
5. Assistant Controller	2	--	50%	50%	If proper person is not available for promotion than one post will be filled by deputation of an officer who have enough experience of administration.
6. Superintendent	1	--	100%	--	By promotion once from Assistant Superintendent and another time by promotion from personal assistant (Turn by turn).
7. Astt. Superintendent	1	--	100%	--	By promotion from Assistant. Grade - I
8. Personal Assistant	2	--	100%	--	By promotion from Stenographer.
9. Stenographer	2	100%	-	--	If suitable persons are not available then by selection by direct recruitment or by deputation from other Departments.
10. Assistant Grade-I	2	--	100%	--	If suitable persons are not available then post filled by deputation.
11. Assistant Grade-II	4	--	100%	--	--do--

12. Assistant Grade-III	6	75%	25%	--	25% post by promotion of the Class-IV employee of the Board who are qualified and have completed five years of continuous service.
13. Programmer	1	100%	-	--	If suitable person is not available then the post shall be filled by deputation.
14. Data Entry Operator	4	100%	--	--	
15. Driver	2	100%	--	--	
16. Daftari	1	--	100%	--	
17. Peon	6	100%	--	--	
18. Choukidar	1	100%	--	--	
19. Sweeper	1	100%	-	-	

SCHEDULE - III
(See Rule 8)

Name of Department	Name of service	Name of posts included in the service	Age limits		Prescribed educational Qualification and Experience.
			Minimum	Maximum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chhattisgarh Professional Examination Board Raipur.	Service of Chhattisgarh Professional Examination Board	(1) Programmer	21 years	35 years	<p>First Class M.Sc. (Computer Science/ Physics/ Electronic/Maths/Statistics/ Information Technology), MCA or equivalent Degree from any recognized University.</p> <p align="center">Or</p> <p>B.E./B. Tech. Or equivalent degree in computer science from any recognized University.</p> <p>Experience –</p> <p>(i) Minimum 2 years work Experience in Analysis system in software, Data processing, D base, Fox base, Cobol C++</p> <p>(ii) Minimum 1 year work Experience in Result possessing on OMR Machine will get Preference.</p>
		(2) Stenographer	18 years	35 years	<p>(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,</p> <p align="center">OR</p> <p>Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.</p> <p>(2) From any recognized Board/ Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :-</p> <p>(a) For Stenographer (Hindi)- Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).</p> <p>(b) For Stenographer (English)- Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).</p>

					<p>(c) For Bilingual Stenographer- Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).</p> <p>(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).</p>
		(3) Data entry operator	18 years	35 years	<p>(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University, OR Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute.</p> <p>(2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken).</p>
		(4) Assistant Grade-III	18 years	35 years	<p>(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.</p> <p>(2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute.</p> <p>(3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).</p>
		(5).Driver	18 years	35 years	<p>(1) Passed class- VIII examination.</p> <p>(2) Possess a valid license of driving a Light Motor Vehicle and possess two Years experience in this field.</p> <p>(3) Preference will be given to the person who know Vehicle mechanic work.</p>

		(6).Peon	18 years	35 years	Passed 8 th exams and knows the cycle driving.
		(7) Watchman	18 years	35 years	Passed class- V and should be medically fit.
		(8) Sweeper	18 years	35 years	Passed class- V.

SCHEDULE - IV
[See Rule - 6, 13 and 14]

Name of the Department	Name of the Post from which the Promotion to be made	Name of the Post on which the Promotion is to be made	Required Experience of the service for Promotion	Name of the Members of the Departmental Promotion/Selection Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chhattisgarh Professional Examination Board Raipur.	Superintendent	Asstt. Controller	5 years	Three persons will be nominated by the Chairman of the Mandal from which one person shall belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.
	Assistant Superintendent/ Personal Assistant	Superintendent	5 years	Three persons will be nominated by the Controller of the Mandal from which one person shall belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.
	Stenographer	Personal Assistant	3 years	--do--
	Assistant Grade-I	Assistant Superintendent	5 years	--do--
	Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	3 years	--do--
	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	3 years	--do--
	Class-IV	Assistant Grade-III	-	--do--
	Class-IV Peon	Dafitari	5 years	--do--

